

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 1999

**विषय :**फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति, 1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा घोषित फिल्म नीति, 1999 के अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या—2235 / 9—आ—3—99—42वि० / 99, दिनांक 27 मई, 1999 जारी किया गया है। उक्त जारी शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 के प्रस्तर—2 के बाद प्रस्तर—3 निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :—

नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन करने की छूट होगी। शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,  
यज्ञवीर सिंह चौहान  
विशेष सचिव।

संख्या—2235(1) / 9—आ—3—99— तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :—

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास अनुभाग—6/ कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग—6।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29—5—99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,  
जावेद एहतेशाम  
अनु सचिव।